न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 144/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/225

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.गोपाराम पुत्र सुरजाराम 2.देवाराम पुत्र सुरजाराम 3.दीपाराम पुत्र सुरजाराम 4.भंवरलाल उर्फ भंवराराम पुत्र सुरजाराम 5.डाईदेवी उर्फ घापूदेवी पत्नि सुरजाराम जाति गवारिया निवासी सरवड़ी तहसील कल्याणपुर हाल खिरजा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1.जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति गवारिया निवासी सरवड़ी तहसील कल्याणपुर हाल सेखाला तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2.चेतनराम पुत्र शिवाराम 3.पुरखाराम पुत्र वोराराम 4. रकबाराम पुत्र शंकरराम 5.रामचन्द्र पुत्र चूनाराम 6.लेखाराम पुत्र कानाराम 7.वेनाराम पुत्र भीमाराम 8.शंकरराम पुत्र चूनाराम 9.शंकरलाल पुत्र रेशमाराम 10.शिवाराम पुत्र बोराराम जाति मेघवाल निवासी सरवड़ी तहसील कल्याणपुर 11.सुल्तानराम पुत्र मूलाराम के वारिसान 11/1.समदादेवी बेवा सुल्तानराम 11/2.केसाराम पुत्र सुल्तानराम 11/3.बाबुराम पुत्र सुल्तानराम 11/4.पपूराम पुत्र सुल्तानराम 11/5.सगनाराम पुत्र सुल्तानराम जाति गवारिया निवासी सरवड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 11/6.आबू पुत्री सुल्तानराम पत्नि श्रवणराम जाति गवारिया निवासी सिणली जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 11/7.कमला पुत्री सुल्तानराम पत्नि भैराराम

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाति गवारिया निवासी मतोड़ा तहसील ओसिया जिला जोधपुर

11/8.बिदामी पुत्री सुल्तानराम पत्नि मदनराम जाति गवारिया निवासी नाचना जिला जैसलमेर

12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

13.सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री जालाराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री नेमाराम चौधरी, लोक अभियोजक विप्रार्थी संख्या 13

3. श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02,04 व 6 से 10 अनुपस्थित।

4.श्री जाबिन खां अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

5.विप्रार्थी संख्या 03,5,11 व 12 अनुपस्थित।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक– 27.5.2025

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 585 क्षेत्रफल 0.8741 हैक्टयर व खसरा संख्या 623 क्षेत्रफल 4.6782 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी के प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 11/8 रिकार्डेड सहखातेदार है। जिसमें सह–खातेदारान के हिस्से भी खुले हुए है,लेकिन संयुक्त सहखातेदारी होने के कारण प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थीगण आए दिन दखलदान्जी करते रहते है तथा विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुए विवादित भूमि पर न्यायालय के आदेश दिनांक 28.5.2024 के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थीगण की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरीए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1,2,4 व 6 से 10की ओर से मूलवाद में वकालतनामा पेश किया। उक्त विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 13 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

3.हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थीगण को सफल होने की पूरी संभावना है। ग्राम सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 585 क्षेत्रफल 0.8741 हैक्टयर व खसरा संख्या 623 क्षेत्रफल 4.6782 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 11 की सहखातेदारी मे अवस्थित है। पक्षकारान के मध्य उक्त कृषि भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन होकर रेकर्ड में पृथक–पृथक इन्द्राज नहीं होने से बरसात के समय काश्त करने में असुविधा रहती हैं,प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा नहीं होने से काश्त बोने के समय मनमुटाव की संभावना बनी रहती हैं,तथा भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु खाद देने, ऋण प्राप्त करने में भी प्रार्थीनी कठिनाई अनुभव कर रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विप्रार्थीगण को आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कर खाते पृथक–पृथक करवाने का आग्रह किया तो विप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने से एवं सभी एक साथ तहसीलदार कल्याणपुर के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असमर्थ होने से प्रार्थीगण को काश्त के समय सदैव आपसी हिस्से अनुसार काश्त करने में अन्य खातेदारान से मनमुटाव व विवाद की संभावना बनी रहती है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि सड़क कटान मार्ग पर नही बनकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे गलत बनी हुए है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनतें है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.5.2024 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 13 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है, क्योकि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) अतोपरा

प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है। जबकि विषयक विवादित आराजी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा नॉन पेचेबल सड़क सरवड़ी से भादू का बाड़ा वी.आर.0663 कि.मी. 0/0 से 6.600 का निर्माण कार्य पूर्व मे वर्ष 2007 मे करवाया गया था,जो सड़क पर डामरीकरण का कार्य विधि अनुसार करवाया जा रहा है,लेकिन प्रार्थीगण की ओर न्यायालय हाजा को वास्तविक तथ्यो से गुमराह करते हुए गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवा दिया। उक्त स्थगन आदेश के कारण लोकहित के लिए सड़क निर्माण का कार्य रूक हुआ हैं। जबकि पूर्व मे प्रचलित मार्ग पर ही सड़क मरम्मत का कार्य किया जाना है। अतं में निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थीगण को अपने हक पक्ष में साबित करना आवश्यक हैं,लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण अपने हक पक्ष में एक भी बिन्दु साबित करनें में सफल नहीं हुई हैं,इसलिए प्रार्थीगण कोई साम्यापुर्ण अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 585 क्षेत्रफल 0.8741 हैक्टयर व खसरा संख्या 623 क्षेत्रफल 4.6782 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1)सर्वप्रथम प्रथम द्वष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 585 क्षेत्रफल 0.8741 हैक्टयर व खसरा संख्या 623 क्षेत्रफल 4.6782 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 11 की संयुक्त सह–खातेदारी में दर्ज है। जिसमें सह खातेदारान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से भी खुले हुए है। प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद बंटवाड़ा का पेश किया गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण वांछित अनुतोष मुताबिक बंटवाड़ा करवाने की हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण स्थगन आदेश को जारी रखवाने की हकदार नहीं है,क्योकि प्रार्थीगण का मूलवाद बंटवाड़ा का है तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण विवादित आराजी के सह–खातेदार है। विवादित आराजी में सह–खातेदार के हिस्से भी खुले हुए है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में सह–खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। इसके साथ ही विवादित आराजी मे चल रहा सड़क मरम्मत कार्य को रूकवाने के लिए विप्रार्थी संख्या 13 को पक्षकार बनाए बिना ही वाद पेश किया तथा एकपक्षीय स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया गया, जो कि न्यायिक द्वष्टिकोण से उचित प्रतीत नही होता है। जबकि प्रार्थीगण को समग्र तथ्यो को

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय हाजा के सामने लाते हुए प्रकरण पेश किया जाना चाहिए था,जो कि उनकी ओर से नही किया गया। विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जारी होने के कारण सड़क मरम्मत का कार्य नही हो पा रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण स्वच्छ हाथो से लेकर नहीं आए है। उनकी ओर से वास्तविक तथ्यो को छिपाकर वाद पेश किया गया है। जहां तक प्रार्थीगण अधिवक्ता का तर्क कि सड़क कटान मार्ग पर नही हुए है,जो मानने योग्य नहीं है,क्योकि उनकी ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया। केवलमात्र मौखिक कथन से बल नही मिलता है। लेकिन प्रार्थीगण दुरूस्ती करवाने के लिए आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 13 को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने के कारण उनके हितो के साथ कुठराधात हुआ है। विवादित भूमि के संबध में जारी स्थगन आदेश को आगे ओर जारी रखा जाना विधि में निहित प्रावधानों के विपरीत होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है,क्योकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है,जिससे साबित हो कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हो। ऐसी सूरत में प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र गलत तथ्यो के आधार पर लाया गया है,जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नही है। प्रार्थीगण की ओर से वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवा दिया गया। जबकि सार्वजनिक आमजन के आवागमन के लिए प्रचलित सड़क मरम्मत कार्यो को रूकवाने की मंशा रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाए बिना ही वाद पेश किया है,जो कि प्रार्थीगण की ओर से वाद स्वच्छ हाथो से नही लाए है। स्थगन आदेश के कारण अपूरणीय क्षति विप्रार्थी संख्या 13 को हो रही है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी संख्या 13 के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी होने के कारण अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी पक्ष को हो रही है। हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवानें के कारण अपूरणीय क्षति विप्रार्थी को हो रही है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण स्थगन आदेश जारी रखवानें की हकदार नहीं है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.5.2024 निरस्त योग्य होने एवं मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) दालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) दालोतरा

आदेश

8. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन व सारवान तथ्यों के अभाव पर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.5.2024 को अपास्त किया जाकर, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27/05/2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर 27/05/2025
(एस.डी.ओ.) बालोतरा